प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Investigation of Cases under POCSO Act 2012"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 24-11-2020 से 26-11-2020

राजस्थान पुलिस अकादमी, **जयपुर।**

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **24-11-2020** से **26-11-2020** **"Investigation of Cases under POCSO Act 2012"** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल कक्ष में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 14 प्रतिभागियों जिसमें 01 उप पुलिस अधीक्षक, 03 पुलिस निरीक्षक, 10 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:10 AM तक पंजीकरण, 10:10-10:30 AM AM तक सहायक कोर्स निदेशक एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय। प्रथम सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए ने पोक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य और कानूनी प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री शफीकुर्रहमान, सीनियर एडवोकेट ने एफआईआर, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीडित की मेडिकल जांच के विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा की। प्रथम दिन के तृतीय सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ किशोर (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पोक्सो मामलों से संबंधित विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, ऐसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया। MoHFW दिशानिर्देश और प्राटोकॉल बचे हुए लोगों के लिए मेडिको-लीगल केयर, यौन हिंसा के शिकार बच्चों और प्रतिक्रियाशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, पीडितों के लिए मेडिको-लीगल केयर के बारे में पुलिस – न्यायपालिका इंटरफेस और बच्चे/पीडितों के लिए साइको सोशल केयर के दिशानिर्देश, स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका, यौन हिंसा की मेडिको-लीगल एग्जामिशन रिपोर्ट पर चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री आर. एस. शर्मा (सेवानिवृत्त) निदेशक, एफ.एस.एल. ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य और उपयोग का संग्रह पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र श्री धन्ना राम (सेवानिवृत्त) एडीजे ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच का व्यावहारिक पहलू, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:00 पीएम पर प्रतिभागियो से पोक्सो विषय पर चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री दुष्ट दमन सिंह, आईपीएस, क्राइम ब्रांच (HUMAN RIGHTS AND WEAKER SECTIONS), जयपुर पधारे जिनका विधिवत स्वागत कोर्स डायरेक्टर द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा पोक्सो पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

समापन सत्र के अन्त में मुख्य अतिथि महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।